सड़क सुरक्षा / उच्च प्राथमिकता।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन न0.0135 2608106 फैक्स न0–2608106

संख्या 31 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(25) / 2018 दिनांकः 02-जनवरी 2018

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
9– कमाण्डेन्ट, सीमा सुरक्षा संगठन, ऋषिकेश जिला–देहरादून।
10–रिजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 58 / 37–बलवीर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

विषयः–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19–12–2017 को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19–12–2017 को वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा बैठक के कार्यवृत्त का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

बैठक के कार्यवृत्त संख्या–920 / 21(2015) / ix–1 / 2017 दिनांक 29–12–2017 की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) दिनांक 10–01–2018 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

क्रमशः–2 पर

संख्या 35 /प्रवर्तन/स0सु0/1—8(25)/2017 समदिनांकित

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/गृह/लोक निर्माण/शहरी/आबकारी/वित्त/शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— सदस्य लीड एजेन्सी, सम्बन्धित विभाग।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

o/c

दिनांक 19–12–2017 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव सभागार में सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– श्री आनन्द बर्धन, प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
2– श्री डी0 सेन्थिल पाण्डियन, सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्रीमती भूपिन्दर कौर औलख, सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4– श्री अनिल रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
5– श्री अशोक कुमार, अपर महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
6– श्रीमती गरिमा रौकुली, उप सचिव, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– श्री राजेश कुमार, अनु सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
8– श्री दिनेश कुमार पुनेठा, अनु सचिव, लोक निमार्ण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– श्रीमती सोनिका, जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
10– श्री केवल खुराना, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, पुलिस मुख्यालय।
11– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
12– श्री सनत कुमार सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
13– श्री एच0के0 उप्रेती, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
14– श्री नरेश संगल, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, परिवहन मुख्यालय।
15– श्री हीरा सिंह बर्गली, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, परिवहन मुख्यालय।
16– श्री आर0सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
17– श्री आर0सी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून।

इसके अतिरिक्त जनपदों में समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया।

AD-Road Safety

बैठक का शुभारम्भ करते हुए सचिव, परिवहन उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 सडक सुरक्षा समिति के निर्देश दिनांक 24–11–2017 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2017 के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि उक्त निर्देशों को समयबद्ध अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या मा0 सड़क सुरक्षा समिति को क्रमशः दिनांक 31–12–2017 एवं 15–04–2018 तक प्रेषित की जानी है।

2– सचिव परिवहन द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में माह जनवरी, 2017 से नवम्बर, 2017 तक राज्य में कुल 1451 वाहनों की दुर्घटना हुई है, जिसमें 856 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 1504 व्यक्ति घायल हुये। दुर्घटना की दृष्टि से देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल जनपद सर्वाधिक संवेदनशील हैं और इस जनपदों में लगभग 80 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं।

2.1.18

3– मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 तक दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया है, अतः सभी जिला सड़क सुरक्षा समितियों को उक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। मा0 उच्चतम् न्यायालय एवं मा0 सडक सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये

निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है, जिन पर सभी जिलों से समयबद्ध कार्यवाही अपेक्षित है:–

(1) ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण की कार्यवाही एवं अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण और उनका सुधार किया जाना।
(2) रैड लाईट जम्पिंग/ओवर लोडिंग/ओवर स्पीडिंग/मोबाईल पर बात करना/नशे की हालत में वाहन चलाने में लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही।
(3) बिना हैल्मेट/बिना सीट बैल्ट वाहन संचालन वाले चालकों के चालान प्रशमन से पूर्व काउंसलिंग किया जाना।
(4) सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत कार्यवाही की सूचना।
(5) जिला सड़क सुरक्षा समितियों की मासिक बैठक किया जाना।
(6) सिनेमाघरों में सड़क सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाना।
(7) जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर लगाये गये ऐसे होर्डिंग्स/ऑबजेक्ट, जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनका ऑडिट एवं हटाये जाने की कार्यवाही।
(8) जनपद में फुटपाथों एवं सड़कों पर अतिक्रमण का ऑडिट एवं हटाये जाने की कार्यवाही।
(9) जनपद के मार्गों पर निर्धारित की गयी अधिकतम गति सीमा का पुनरीक्षण किया जाना एवं वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना।
(10) जनपद की सड़कों पर पैराफिट, क्रैश बैरियर, सूचना संकेत बोर्ड, ट्रैफिक कामिंग उपायों का क्रियान्वयन एवं समय–समय पर स्थल निरीक्षण।
(11) स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा विषय को सम्मिलित किया जाना एवं समय–समय पर स्कूली बच्चों एवं अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से जागरूकता अभियान चलाना।
(12) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से शराब की दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।
(13) आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना किया जाना।
(14) ट्रामा सुविधाओं का विकास किया जाना।

4– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपने निर्देश दिनांक 24–11–2017 के अन्तर्गत अधिक दुर्घटना वाले जनपदों हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में राज्य की 80 प्रतिशत दुर्घटनायें 04 जनपदों में घटित हो रही है। उक्त जनपदों में घटित दुर्घटना और दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

<u>देहरादून जनपद</u>

(1) माह नवम्बर, 2017 तक कुल 313 दुर्घटनायें घटित हुई, जो गत वर्ष घटित दुर्घटनाओं की तुलना में 19.47 प्रतिशत अधिक है।
(2) जनपद में 49 ब्लैक स्पॉट है, जिसमें से अभी तक मात्र 11 में सुधार किया गया है।
(3) ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(4) रैड लाईट जम्पिंग/ओवर लोडिंग/ओवर स्पीडिंग/मोबाईल पर बात करना/नशे की हालत में वाहन चलाने में लाईसेन्सों के विरूद्ध मात्र 52.99 प्रतिशत संस्तुतियाँ की गयी है, जबकि लाईसेंस के लिए कुल संस्तुतियों के सापेक्ष 66.34 प्रतिशत के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

(5) बिना सीट बैल्ट/हैल्मेट के अभियोग में चालानों के प्रशमन से पूर्व काउसंलिंग सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन शिथिल पाया गया। जनपद में मात्र 8.03 प्रतिशत चालकों की ही काउन्सिलिंग की गयी है।

(6) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के क्रम में माह अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2017 तक 08 बैठकें आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष केवल 04 बैठकों का ही आयोजन किया गया है।

(7) सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत भी कार्यवाही अत्यन्त न्यून पायी गयी। वर्ष 2016 में जनपद में कुल 33 मामले पाये गये, परन्तु केवल 01 मामले में ही आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

ऊधमसिंहनगर जनपद

(1) माह नवम्बर, 2017 तक कुल 324 दुर्घटनायें घटित हुई है। यद्यपि ये दुर्घटनाय गत वर्ष इसी अवधि में घटित दुर्घटनाओं की तुलना में 7.69 प्रतिशत कम है, परन्तु संख्या के अनुसार जनपद ऊधमसिंहनगर राज्य में सर्वाधिक दुर्घटना वाला जनपद है।

(2) जनपद में 28 ब्लैक स्पॉट है, जिसमें से अभी तक मात्र 08 में सुधार किया गया है।

(3) ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में काशीपुर क्षेत्र में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(4) रैड लाईट जम्पिंग/ओवर लोडिंग/ओवर स्पीडिंग/मोबाईल पर बात करना/नशे की हालत में वाहन चलाने में लाईसेन्सों के विरूद्ध मात्र 4.07 प्रतिशत संस्तुतियाँ की गयी है। जनपद में यद्यपि लाईसेंस के लिए कुल संस्तुतियों के सापेक्ष 99.12 प्रतिशत के विरूद्ध कार्यवाही की गयी, परन्तु उक्त कार्यवाही मा0 समिति के निर्देशों के अनुकूल नहीं है। मा0 समिति द्वारा सम्बन्धित चालक का लाईसेंस कम से कम 03 माह के लिए अनर्ह करने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि ऊधमसिंहनगर में 228 में से 180 मामलों में चेतावनी निर्गत की गयी है, जो मा0 समिति के निर्देशों के विपरीत है।

(5) बिना सीट बैल्ट/हैल्मेट के अभियोग में चालानों के प्रशमन से पूर्व काउसंलिंग सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन शिथिल पाया गया। जनपद में मात्र 4.95 प्रतिशत चालकों की ही काउन्सिलिंग की गयी है।

(6) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के क्रम में माह अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2017 तक 08 बैठकें आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष केवल 03 बैठकों का ही आयोजन किया गया है।

(7) सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत भी कार्यवाही अत्यन्त न्यून पायी गयी। वर्ष 2016 में जनपद में कुल 261 मामले पाये गये, परन्तु किसी भी मामले में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(8) परिवहन आयुक्त के विभिन्न पत्रों के माध्यम से जनपद में वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है, परन्तु उक्त निर्देशों के अनुपालन में अभी तक कोई कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

हरिद्वार जनपद

(1) माह नवम्बर, 2017 तक कुल 301 दुर्घटनायें घटित हुई है। यद्यपि ये दुर्घटनाय गत वर्ष इसी अवधि में घटित दुर्घटनाओं की तुलना में 5.94 प्रतिशत कम है, परन्तु संख्या के अनुसार जनपद हरिद्वार राज्य में तीसरे नम्बर पर आता है।

(2) जनपद में 28 ब्लैक स्पॉट है, जिसमें से अभी तक मात्र 05 में सुधार किया गया है।

(3) ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में रूड़की क्षेत्र में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(4) रैड लाईट जम्पिंग/ओवर लोडिंग/ओवर स्पीडिंग/मोबाईल पर बात करना/नशे की हालत में वाहन चलाने में लाईसेन्सों के विरूद्ध मात्र 14.30 प्रतिशत संस्तुतियाँ की गयी है, जबकि लाईसेंस के लिए कुल संस्तुतियों के सापेक्ष 29.48 प्रतिशत के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

(5) बिना सीट बैल्ट/हैल्मेट के अभियोग में चालानों के प्रशमन से पूर्व काउसंलिंग सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन शिथिल पाया गया। जनपद में मात्र 5.45 प्रतिशत चालकों की ही काउन्सिलिंग की गयी है।

(6) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के क्रम में माह अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2017 तक 08 बैठकें आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष केवल 04 बैठकों का ही आयोजन किया गया है।

(7) सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत भी कार्यवाही अत्यन्त न्यून पायी गयी। वर्ष 2016 में जनपद में कुल 103 मामले पाये गये, परन्तु किसी भी मामले में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(8) परिवहन आयुक्त के विभिन्न पत्रों के माध्यम से जनपद में वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है, परन्तु उक्त निर्देशों के अनुपालन में अभी तक कोई कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

नैनीताल जनपद

(1) माह नवम्बर, 2017 तक कुल 198 दुर्घटनायें घटित हुई है, जो गत वर्ष इसी अवधि में घटित दुर्घटनाओं की तुलना में 5.88 प्रतिशत अधिक है।

(2) जनपद में 07 ब्लैक स्पॉट है, जिसमें से अभी तक किसी में सुधार की कार्यवाही नहीं की गयी है।

(3) ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(4) रैड लाईट जम्पिंग/ओवर लोडिंग/ओवर स्पीडिंग/मोबाईल पर बात करना/नशे की हालत में वाहन चलाने में लाईसेन्सों के विरूद्ध मात्र 3.51 प्रतिशत संस्तुतियाँ की गयी है, जबकि लाईसेंस के लिए कुल संस्तुतियों के सापेक्ष 58.60 प्रतिशत के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

(5) बिना सीट बैल्ट/हैल्मेट के अभियोग में चालानों के प्रशमन से पूर्व काउसंलिंग सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन शिथिल पाया गया। जनपद में मात्र 86.28 प्रतिशत चालकों की ही काउन्सिलिंग की गयी है।

(6) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के क्रम में माह अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2017 तक 08 बैठकें आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष केवल 04 बैठकों का ही आयोजन किया गया है।

(7) सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत भी कार्यवाही अत्यन्त न्यून पायी गयी। वर्ष 2016 में जनपद में कुल 146 मामले पाये गये, परन्तु किसी भी मामले में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(8) परिवहन आयुक्त के विभिन्न पत्रों के माध्यम से जनपद में वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है, परन्तु उक्त निर्देशों के अनुपालन में अभी तक कोई कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।

<u>अन्य जनपद</u>

(1) अन्य जनपदों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गत वर्ष की तुलना में पौड़ी में 24.14 प्रतिशत, चम्पावत में 27.78 प्रतिशत, बागेश्वर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अन्य जनपदों में गत वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में कमी आयी है। प्रतिशत के हिसाब से रूद्रप्रयाग जनपद में सबसे अच्छा कार्य पाया गया, जहां गत वर्ष की तुलना में 37.50 प्रतिशत दुर्घटनायें कम हुई है।

(2) टिहरी में 05, पिथौरागढ़ एवं चमोली में 2–2 तथा अल्मोड़ा एवं पौड़ी में 1–1 ब्लैक स्पॉट है, जिनके तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

(3) ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में केवल पौड़ी, बागेश्वर एवं चम्पावत जनपदों द्वारा ही सूचना प्रेषित की गयी है।

(4) रैड लाईट जम्पिंग/ओवर लोडिंग/ओवर स्पीडिंग/मोबाईल पर बात करना/नशे की हालत में वाहन चलाने में लाईसेन्सों के विरूद्ध अधिकतर जनपदों में 20 प्रतिशत से भी कम संस्तुतियाँ की गयी है, जबकि लाईसेंस के लिए कुल संस्तुतियों के सापेक्ष कार्यवाही का प्रतिशत भी काफी कम है।

(5) बिना सीट बैल्ट/हैल्मेट के अभियोग में चालानों के प्रशमन से पूर्व काउसंलिंग सम्बन्धी निर्देशों के अनुपालन में भी अधिकतर जनपदों में काउन्सिलिंग का प्रतिशत 10 प्रतिशत के आसपास है। केवल चम्पावत जनपद में ही 90.98 प्रतिशत चालकों की काउन्सिलिंग की गयी है।

(6) मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में प्रति माह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत किये जाने के निर्देश है। उक्त के क्रम में

माह अप्रैल, 2017 से नवम्बर, 2017 तक 08 बैठकें आहूत होनी चाहिए, परन्तु इसके सापेक्ष टिहरी में 06, उत्तरकाशी में 07, पौड़ी में 03, रूद्रप्रयाग में 01, चमोली में 02, चम्पावत में 03, अल्मोड़ा में 01, बागेश्वर में 02 एवं पिथौरागढ़ में 03 बैठकों के आयोजन की सूचना प्रेषित की गयी है।

(7) सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में भी अधिकतर जनपदों में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। वर्ष 2016 में उत्तरकाशी में 02, पौडी में 05, चमोली में 01, चम्पावत में 12, अल्मोड़ा में 05, बागेश्वर में 05 एवं पिथौरागढ़ में 13 मामले हिट एण्ड रन के पाये गये, परन्तु किसी भी मामले में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

(8) परिवहन आयुक्त के विभिन्न पत्रों के माध्यम से जनपद में वाहनों के लिए अधिकतम गतिसीमा निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है, परन्तु उक्त निर्देशों के अनुपालन में अभी तक केवल देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों से ही प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त स्थिति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जनपद रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, चमोली की प्रशंसा करते हुए, अन्य जनपदों से भी इसी प्रकार कार्य–योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के निर्देशों का शत्प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और आगामी अवशेष अवधि में दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु समग्र प्रयास किये जाय।

5– लो0नि0वि0 एवं एनएचएआई आदि द्वारा ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण के सम्बन्ध में अभी तक की गयी कार्यवाही संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी ब्लैक स्पॉट का रोड सेफ्टी आडिट कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यह भी निर्देश दिये गये कि रोड सेफ्टी आडिट का कार्य प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2018 तक पूर्ण करते हुए आगणन के प्रस्ताव सक्षम स्तर को प्राप्त करा दिये जाएं। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि सभी जिलाधिकारियों द्वारा जनपद में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का परिवहन/पुलिस/लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम से निरीक्षण कराते हुये सम्बन्धित स्थलों के सुधारीकरण के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाय। ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को संयुक्त टीम गठित करते हुए तत्काल सर्वेक्षण कराते हुए आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गये।

6– यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दुर्घटना का साईंटिफिक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है ताकि उक्त प्रकार की दुर्घटना दोबारा घटित न हो। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि दुर्घटना में शामिल चालक की पहचान की जाए और यदि वह स्कूली अथवा कालेज छात्र है तो सम्बन्धित स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य एवं उनके अभिभावकों से भी वार्ता/काउसंलिंग की जाए और संबंधित शैक्षिक संस्थानों के छात्रों को सडक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

7– सड़क पर दुर्घटना के कारणों में एक कारण सड़क पर मेन होल, गड्ढों अथवा अनावश्यक ऑब्जैक्ट को लावारिस छोड देना भी है, जिस पर तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल करें।

8— बैठक में एन0एच0ए0आई0 के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जो उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, एन0एच0ए0आई0 को पत्र प्रेषित किया जाए तथा एन0एच0ए0आई0 को समस्त सूचनाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

9— सर्दियों के मौसम में पडने वाले कोहरे से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा सभी मार्गो पर अधिकतम गति सीमा के बोर्ड, रम्बल स्ट्रीप, रोड़ मार्किंग, कैट आई, रेडियम पट्टी आदि की समुचित व्यवस्था की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य आई0आर0सी0 मानकों के अनुरूप हो।

10— रेड लाईट जम्पिंग/ओवर स्पीडिंग/ओवर लोडिंग/मोबाइल पर बात करना/नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध संस्तुतियॉ अत्यन्त कम है, जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के निर्देशों के अनुपालन में शत प्रतिशत प्रकरणों में संस्तुतियॉ की जानी चाहिए। अतः निर्देश दिये गये कि उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और सभी मामलों में चालक लाईसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाए।

11— इसी प्रकार बिना हैल्मेट/बिना सीट बैल्ट वाहन संचालन वाले चालकों के चालान प्रशमन से पूर्व काउंसलिंग का प्रतिशत भी काफी कम है। इस सम्बन्ध मा0 सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के दृष्टिगत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

12— जनपदों में सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की कार्यवाही भी संतोषजनक नहीं पायी गयी। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि स्कीम के अनुसार सोलेशियम स्कीम समिति की वर्ष में कम से कम 04 बैठकें अवश्य आहूत की जाए तथा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाए ताकि सामान्य जनमानस को योजना का लाभ मिल सके।

13— जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाए और उक्त बैठकों के एजेण्डा में मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की जाए। बैठक में लिये गये निर्णयों की सूचना परिवहन आयुक्त कार्यालय को भी प्रेषित की जाए।

14— वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त को यथाशीघ्र आपूर्तिकर्ता फर्मों को अधिकृत करने के निर्देश दिये गये ताकि पुराने वाहनों में भी स्पीड गवर्नर लगाये जाने का कार्य प्रारम्भ हो सके।

15— पुलिस विभाग एवं बैठक में प्रस्तुत आंकडों में कतिपय विसंगतियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय में गठित लीड एजेन्सी द्वारा पुलिस मुख्यालाय से प्राप्त आंकडो के आधार पर ही सूचना तैयार की जाती है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर सूचनाओं के प्रेषण से पूर्व उसका मिलान भली प्रकार कर लिया जाए और सही सूचना प्रेषित की जाए।

16— मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि परिवहन विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षित सूचनाओं के सम्बन्ध में एक प्रारूप निर्धारित कर दिया जाए और समस्त जिलाधिकारियों द्वारा उक्त प्रारूप में ही सूचना प्रेषित की जाए ताकि समीक्षा में सभी जनपदों में आंकडों के मिलान में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(डी0सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 920 /21(2015)/ix–1/2017
देहरादूनः दिनांक 29 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा/शिक्षा/आबकारी/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/गृह/लोक निर्माण/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2–महानिदेशक/निदेशक, शिक्षा/पुलिस/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3–अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, G 5&6 सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
4–आयुक्त आबकारी/मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड।
5–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6–क्षेत्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7–कमाण्डेन्ट, सीमा सड़क संगठन, शिवालिक परियोजना,वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून।
8–परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9–उपस्थित अधिकारीगण।

29/12

(राजेश कुमार)
अनुसचिव।